रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2017/ज्येष्ट 12, 1939
No. 446] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2017/JYAISTHA 12, 1939

पोत परिवहन मंत्रालय

(पोर्ट स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2017

सा.का.नि. 545(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित और धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा न्यासी मंडल द्वारा कंडला पोर्ट हेतु बनाए गए कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 को अनुमोदन प्रदान करती है तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित है।

2. उक्त संशोधित विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. पीआर–12012/3/2017–पीई–I]

प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संषोधन विनियम, 2017

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट ट्रस्ट न्यासी मंडल एतद्द्वारा कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2009 को संशोधित करने के लिए आगे निम्नलिखित विनियम बनाता है जो इस प्रकार हैं :

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—

(i) ये विनियम कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम 2017 कहे जाएंगे ।

(ii) ये महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 तथा 132 के प्रावधानों के अधीन यथापेक्षित केंद्र सरकार के अनुमोदन के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2009 की अनुलग्नक अनुसूची में क्रम सं. 52 में मुख्य प्रचालन प्रबंधक के पद हेतु :–

i) बिंदु 5 के तहत प्रविष्टि "रुपये 51300-73000''पूर्व संशोधित रुपये 20,500-500-26,500) के रूप में प्रतिस्थापित होगी ।

ii) बिंदु 8 के तहत प्रविष्टि निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगी :—

"अनिवार्य

(I) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी मे डिग्री/एमओटी प्रथम श्रेणी के रुप में सक्षमता प्रमाणपत्र/विदेश जानेवाले जहाज के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र रखनेवाले मास्टर मरीनर/ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री।

अनुभव

किसी पत्तन/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय में समुद्री/अभियांत्रिकी/यातायात में अधिकारी संवर्ग में 17 वर्षो का अनुभव ।"

(iii) बिंदु 12 के तहत तहत प्रविष्टि निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगी :—

"संयुक्त विधि द्वारा आमेलन हेतु सदृश पद या श्रेणी II पत्तनों में 2 वर्ष की नियमित सेवा के साथ विभागाध्यक्ष का पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा महापत्तन न्यासों में समुद्री/अभियांत्रिकी/यातायात विभाग में ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा के साथ रुपये 36,600-62,000 (रुपये 17,500-22,300 का पूर्व संशोधित वेतनमान) के वेतनमान में पदधारी अधिकारी अथवा ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ रुपये 32,900-58,000 (रुपये 16,000-20,800 का पूर्व संशोधित वेतन) के वेतनमान में पदधारी अधिकारी पात्र होंगे ।

प्रतिनियुक्ति हेतु : महापत्तन न्यास/सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय में समुद्री/अभियांत्रिकी/यातायात विभाग में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा के साथ रुपये 43,200-66,000 (रुपये 18,500–23,900 का पूर्व संशोधित वेतनमान) के वेतनमान में पदधारी अधिकारी अथवा रुपये 32,900-58,000 (रुपये 16,000-20,800 का पूर्व संशोधित वेतन) के एवं ऊपर के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी पात्र होंगे।

चयन श्रेष्ठता सूची द्वारा होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो में समग्र ग्रेडिंग में संदर्भ मानक "बहुत अच्छा " से नीचे नहीं होगा ।"

पाद टिप्पणी : (i) मुख्य विनियम सा.का.नि. सं. 767(अ), दिनांक 20.10.2009 के माध्यम से प्रकाशित। तदुपरांत सा.का.नि. सं. 551(अ), दिनांक 7.7.2015 एवं सा.का.नि. सं. 1124(अ), दिनांक 9.12.2016 के माध्यम से संशोधित।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2017

G.S.R. 545(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017, made by the Board of Trustees for the Port of Kandla as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12012/3/2017-PE-I]

PRAVIR KRISHN, Jt. Secy.

SCHEDULE

KANDLA PORT TRUST

The Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2009 namely:—

1. Short Title and Commencement.—

(i) These Regulations may be called the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government, as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963, in the Gazette of India.

2. In the Schedule annexed to the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, for the post of Chief Operations Manager at Sl. No. 52 :—

(i) The entry under column 5 shall be substituted as "Rs. 51300-73000 (Pre-revised Rs. 20,500-500-26,500)."

(ii) The entry under column 8 shall be substituted as under:—

"**Essential**

Degree in Engineering from a recognised University/Certificate of Competency as MOT First Class/Master Mariner having Certificate of Competency as Master of Foreign Going Ship/Post Graduate degree from a recognised University.

Experience

17 years' experience in Executive Cadre in Marine/Engineering/Traffic in any Port/Government or Semi Government Department/ Public Sector Undertaking/Autonomous Body."

(iii) The entry under column 12 shall be substituted as under :—

"For absorption through composite method, officers holding analogous posts or the post of Head of the Department in Category II Ports with 2 years' regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.36600-62000 (pre-revised pay scale of Rs.17500-22300) with 4 years' regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.32900-58000 (pre-revised pay scale of Rs.16000-20800) with 5 years' regular service in the grade in Marine/Engineering/Traffic Department of Major Port Trusts will be eligible.

For deputation: Officers holding analogous posts or officers holding posts in the scale of Rs.43200-66000 (pre-revised pay scale of Rs.18500-23900) with 2 years' regular service in the grade or officers in the scale of Rs.32900-58000 (pre-revised scale of Rs.16000-20800) and above with 5 years' regular service in Marine/Engineering/Traffic Department in Major Port Trust/ Government or Semi Government Department/Public Sector Undertaking/Autonomous Body would be eligible.

The selection is by merit, for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good."

FOOT NOTE: Principal Regulations published vide G.S.R. 767(E), dated 20.10.2009. Subsequently amended *vide* G.S.R. 551(E), dated 7.7.2015 and G.S.R. 1124(E), 9.12.2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.06.06 12:05:45 +05'30'